कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना अधिकारी(समग्र शिक्षा) बैकुन्ठपुर जिला कोरिया (छ0ग0)

E-mail-rmsa.korea@gmail.com Phone/Fax No. 07836232241

–:: भर्ती विज्ञापन ::–

बैकुन्ठपर दिनांक 23/08/2023

क्र/1015/स्था./माध्य./भर्ती/2023–24 :: राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छ0ग0 का पत्र क्रमांक/1880/समग्र शिक्षा/माध्य./24–14/2023–24 रायपुर दिनांक **14.08.2023** के तहत् समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित समावेशी शिक्षा (कक्षा 9 से 12वीं तक) हेतु 05 विकासखण्डों हेतु (अविभाजित कोरिया) एक–एक पद स्पेशल एजुकेटर की कुल पद 05 की स्वीकृति निश्चित एवं निर्धारित एकमुश्त मानदेय **20,000.00 (बीस हजार रूपये मात्र)** प्रति माह अनुसार तीन माह हेतु कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नही होगी।

राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृत स्पेशल एजुकेटर पदों की पूर्ति के निम्नानुसार अस्थाई भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। **इच्छुक अम्यर्थी दिनांक 04/09/2023 तक कार्यालयीन** समय प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:30 तक **कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बैकुन्ठपुर जिला कोरिया, बैकुन्ठपुर (छ0ग0) पिन 497335 के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही प्राप्त आवेदन मान्य होगें।** निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएगें।

क्र.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या				
				अ.ज.जा.	अ.जा	अपिव	अनारक्षित	योग
1	स्पेशल एजुकेटर	20,000/– (मासिक वेतन)	05	मुक्त–02 महिला–00	मुक्त–00 महिला–00	मुक्त–01 महिला–00	मुक्त–02 महिला–00	मुक्त–05 महिला–00

01 शैक्षणिक अर्हताएं :–

स्नातकोत्तर के साथ बी0एड0 (विशेष शिक्षा) में अथवा बी0एड0 (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में अनिवार्य है।

02. नियम एवं शर्ते :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।
2. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा तथा चयन हेतु कोरिया जिले एवं एम.सी.बी. जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान किया जावेगा।
3. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थाई रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति एवं मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्त हेतु कोई दावा नही कर सकेगा।
4. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्वि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नही होगा।

5. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जावेगा। जिसकी पृथक से सूचना नही दी जावेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
6. आरक्षण एवं आयु सीमा मे छुट शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
7. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा प्रतीक्षा सूची में मेरिट कम अनुसार उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को सूचना नही दी जावेगी।
8. समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नही रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
9. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रदद् करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नही पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचलक के पास सुरक्षित रहेगा।
10. इस पद हेतु निश्चित एवं एक मुश्त मनादेय रू. 20,000/—(अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) प्रति माह दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नही होगी।
11. समावेशी शिक्षा स्पेशल एजुकेटर को टी.ए./डी.ए. की पात्रता नही होगी।
12. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नही किये जायेगें तथा अमान्य आवेदन पत्रों के संबंध में पृथक से सूचना नही दी जायेगी।
13. चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा तथा चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में कोई विसंगति पाई गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जावेगी।
14. अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एंव अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए साथ ही शासन द्वारा समय—समय पर आयु सीमा में छूट के प्रावधान लागू रहेंगे। उम्र की पुष्टि हेतु 10वी की अंकसूची की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
15. छ0ग0 लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियां और अन्य पिछडें वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 नियम के प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे।
16. अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण—पत्र सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
18. चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया ही मान्य की जावेगी तथा चयन के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम व सर्व मान्य होगा।
19. आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रामाणित प्रति तथा स्वयं के डाक का पूर्ण पता लिखा लिफाफा जिस पर 10 रूपये का डाक टिकिट लगाकर संलग्न कर जमा करना अनिवार्य होगा।
20. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी , आवेदन पत्र का प्रारूप कोरिया जिले की बेवसाईट korea.gov.in पर एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया छ.ग. के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।

03. निरर्हताएँ :—

1. अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्तिर्ता द्वारा चयन के निरर्हित माना जा सकेगा।
2. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए

पात्र नही होगा/होगी परन्तु शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करना विशेष कारण है तो समिति ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगा।

3. कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नही किया जाएगा। जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये।

   परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है , तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

4. कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्व किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो, इस सेवा या पद के लिए पात्र नही होगा , परंतु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंवित रखा जाएगा जब तक उस अपराधिक मामले पर न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जावे।

04 चयन सूची :–

1. अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों का निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर पात्र/अपात्र की सूची जारी कर दावा–आपत्ति उपरांत अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अंतिम चयन किया जावेग।
2. चयन प्रकिया समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।
3. प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध होगी।
4. चयन के संबंध में कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।

05. कार्य दायित्व :–

1- विकासखण्ड में चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची एवं केस स्टडी, विकासखण्ड संसाधन स्त्रोत केन्द्र मे सुनियोजित तरीके से संधारित करना।

2- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थैरेपी प्रदान करना।

3- विकासखण्ड संसाधन स्त्रोत केन्द्रों में थैरेपी के लिए प्रयुक्त सहायक सामग्री एवं उपकरणों के उपयोग का संपूर्ण दायित्व वहन करना।

4- संसाधन केन्द्रों में थैरेपी के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का बी.आर.पी. के सहयोग से संसाधन स्त्रोत केन्द्रों तक पहुंच बनाने में सहयोग करना/पालको के साथ काउसलिंग करना, अभिभावको को प्रेरित कर मार्गदर्शन प्रदान करना।

5- आवश्यकतानुसार अन्य विकासखण्डों में भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थैरेपी प्रदान करना।

6- राज्य/जिला/विकासखण्ड स्तर से सौंपे गये अन्य कार्यो का निवर्हन अनिवार्य होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी
(समग्र शिक्षा) जिला– कोरिया (छ0ग0)

बैकुन्ठपुर, दिनांक 28/08/2023

पृ.क्र./1016/स्था./माध्य./भर्ती/2023–24

प्रतिलिपि :–

1. प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन समन्वयक, जिला कोरिया/एम.सी.बी छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत कोरिया छ.ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, एम.सी.बी. को सूचनार्थ।
5. जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा कोरिया छ.ग. को सूचनार्थ।

7 सहायक जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा कोरिया छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8 सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला कोरिया/एम.सी.बी. को सूचनार्थ।

9 सहायक कार्यकम समन्वयक (समावेशी शिक्षा) जिला कोरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

10 सहायक संचालक, जनसंपर्क, जिला कोरिया छ.ग. की ओर प्रकाशनार्थ।

11 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला कोरिया–बैकुन्ठपुर को सूचनार्थ एवं उक्त विज्ञापन विस्तृत विवरण सहित कोरिया जिले वेबासाईट **www.korea.gov.in** पर अपलोड करने हेतु निर्देशित।

जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी
(समग्र शिक्षा) जिला– कोरिया (छ0ग0)

–:: स्पेशल एजुकेटर पदो के लिए भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ::–

नवीन पासपोर्ट साईज का स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करें

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....
   आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. लिंग (पुरूष/महिला) :– ....
4. जाति वर्ग :– ....
5. जन्म तिथि (अंको में) :– दिन.................माह...................वर्ष..................................
   जन्म तिथि (शब्दों में) ....
6. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :– ....
   ....
7. स्थाई पता :– ....
   ....
   ई मेल आई डी..
8. क्या आवेदक कोरिया जिले का निवासी है (हां/नहीं) निवास जिले का नाम :– ....
9. **शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता का विवरण, जो अनिवार्य अर्हता में चाहा गया है :–**

क्र0	परीक्षा का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	5वीं						
2	8वीं						
3	10वीं						
4	12वीं						
5	स्नातक						
6	स्नातकोत्तर						
7	बी.एड (विशेष शिक्षा)						
8	अन्य						

12. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :—

(1) पांचवीं उत्तीर्ण अंकसूची।
(2) आठवीं उत्तीर्ण अंकसूची।
(3) हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंक सूची।
(4) हायर सेकेण्ड्री परीक्षा अंक सूची।
(5) बी.एड. विशेष शिक्षा की अंक सूची।
(6) संबंधित विषय में स्नातक व स्नातकोत्तर की अंक सूची।
(7) निवास व जाति प्रमाण पत्र।
(8) आधार कार्ड की छाया प्रति।
(9) ....
(10) ....
(11) ....
(12) ....

//घोषणा//

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण मेरे विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है तथा आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ, कोई भी जानकारी असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक ....
स्थान ....

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम..
पिता/पति का नाम..
पूर्ण पता..
....
दूरभाष क्र./मो0नं0..

—//पावती//—

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :— ....
2. पिता/पति का नाम :— ....
3. आवेदक का पूर्ण वर्तमान पता :— ....

4- दूरभाष क्र./मो0नं0..ई मेल आईडी क्रमांक..

(5) पांचवीं उत्तीर्ण अंकसूची।
(6) आठवीं उत्तीर्ण अंकसूची।
(7) हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंक सूची।
(8) हायर सेकेण्ड्री परीक्षा अंक सूची।
(9) बी.एड. विशेष शिक्षा की अंक सूची।
(10) संबंधित विषय में स्नातक व स्नातकोत्तर की अंक सूची।
(11) निवास व जाति प्रमाण पत्र।
(12) आधार कार्ड की छाया प्रति।
(9) ....
(10) ....